

# इंडिया इंटरनेशनल हाउस

Company Name - India International House	Policy Name - Anti Sexual Harassment Policy
Original date. 08/11/2023 Rev No. 00	Document No. - <u>IIHL/ASH/14</u>

## यौन उत्पीड़न निवारण नीति

यह इंडिया इंटरनेशनल हाउस (India International House) की नीति है कि सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से मुक्त है। कार्यस्थल पर आपत्तिजनक या अनुचित यौन व्यवहार के प्रति बालाजी फास्टनर की कड़ी अस्वीकृति के कारण, सभी कर्मचारियों को ऐसे किसी भी कार्य या आचरण से बचना चाहिए जिसे यौन उत्पीड़न के रूप में देखा जा सकता है। यौन उत्पीड़न में अवांछित यौन प्रयास, यौन संबंधों के लिए अनुरोध और यौन उत्पीड़न प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण शामिल हैं, जब:

- (1) उत्पीड़न के प्रति समर्पण या तो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से रोजगार की एक शर्त या नियम बना दिया गया है;
- (2) उत्पीड़न को प्रस्तुत करना या अस्वीकार करना व्यक्ति को प्रभावित करने वाले रोजगार निर्णयों के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है; या उत्पीड़न का उद्देश्य या प्रभाव किसी व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना या डराने वाला, शत्रुतापूर्ण या अपमानजनक कार्य वातावरण बनाना है।
- (3) जिस भी कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, श्रमिकों या आगंतुकों सहित कार्यस्थल पर किसी के द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत है, उसे पहले उत्पीड़नकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि उसका व्यवहार आक्रामक या अवांछित है और अनुरोध करना चाहिए कि वह व्यवहार बंद कर दे। यदि व्यवहार जारी रहता है, तो कर्मचारी को तुरंत मामले को अपने पर्यवेक्षक के ध्यान में लाना चाहिए। यदि तत्काल पर्यवेक्षक उत्पीड़नकारी गतिविधि में शामिल है, तो उल्लंघन की सूचना उस पर्यवेक्षक के तत्काल प्रबंधक, मानव

संसाधन/अनुपालन अधिकारी, या निदेशक को दी जानी चाहिए, जिनसे (सेल नंबर . . .) पर संपर्क किया जा सकता है।

(4) यदि किसी पर्यवेक्षक या मानव संसाधन/अनुपालन अधिकारी को यौन उत्पीड़न की किसी घटना के बारे में पता चलता है, तो वे तुरंत उचित उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे। यदि कथित उत्पीड़न में पीड़ित को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की किसी भी प्रकार की धमकी शामिल है, तो कथित उत्पीड़नकर्ता को वेतन सहित निलंबित किया जा सकता है। ऐसे निलंबन के दौरान, इंडिया इंटरनेशनल हाउस (INDIA INTERNATIONAL HOUSE) द्वारा एक जांच की जाएगी। यदि जांच में यौन उत्पीड़न के आरोपों का समर्थन किया जाता है, तो कथित उत्पीड़नकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसमें बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है। यदि जांच से पता चलता है कि आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाए गए थे, तो आरोप लगाने वाले पक्ष पर बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

यदि कोई कर्मचारी अपनी शिकायत पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो वह सेल नंबर \_\_\_\_\_ पर \_\_\_\_\_ से संपर्क कर सकता है।

*Himanshu*  
प्रस्तुत कर्ता

*[Signature]*  
अनुमोदित कर्ता